Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जैसेलमेर में आरोपीगण डॉ. राघव डोई व सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक, राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय मोहगढ, जिला जैसलमेर रिश्वत राशि 3,000/– रूपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, दिनांक 13 जुलाई, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय राज. जयपुर के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी बाड़मेर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपीगण **डॉ. राघव डोई व सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक, राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय मोहगढ, जिला जैसलमेर** द्वारा आपसी मिलीभगत कर परिवादी व उसके भाई द्वारा राज्य सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही ऊंट संरक्षण योजना के तहत आवेदन करने पर उक्त योजनान्तर्गत देय अनुदान राशि 10,000–10,000/– रूपये की दो किश्ते (गर्भवती ऊंटनी के संरक्षण हेतु प्रसव पूर्व व प्रसव पश्चात उसके बच्चे/टोडिये हेतु) दिलाने के क्रम में दोनों भाईयों के आवेदनों का सत्यापन करने, उनकी ऊंटनी व उसके बच्चे की टैगिंग करने के पश्चात आवेदनों को ऑनलाईन कर किश्तें इनके बैंक खातों में डलवाने की ऐवज में प्रति आवेदन 2000/– रूपये के हिसाब से दोनों आवेदनों के पेटे कुल 4000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। एवं आरोपी सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक द्वारा 1000 रूपये पूर्व में परिवादी से जरिये फोन पे प्राप्त किये, एंव तत्पश्चात आज वक्त लेन–देन पशु चिकित्सालय मोहनगढ में आरोपित डॉ. राघव डोई के कहेनुसार उनके समक्ष ही आरोपी सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक द्वारा परिवादी से शेष रिश्वती राशि 3000/– रूपये प्राप्त कर स्वयं के पहने हुए लोअर के की जेब में रखने के पश्चात दोनों आरोपियों को मौकास्थल से ही रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रिश्वती राशि 3000/– रूपय आरोपित सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक से बरामद की गई।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि ब्यूरो के हैल्प लाईन नं. 1064 के माध्यम से ए.सी.बी. चौकी बाड़मेर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी एंव उसके भाई के द्वारा पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही ऊंट संरक्षण योजना के तहत आवेदन करने पर उक्त योजनान्तर्गत देय अनुदान राशि इन्हें दिलाने की ऐवज में परिवादी से दोनों आवेदनों के पेटे कुल 4000/– रूपये रिश्वती राशि की मांग कर इसमें से पूर्व में 1000/– रूपये प्राप्त किये एंव शेष रिश्वती राशि 3000/– रूपये आज वक्त लेन–देन आरोपितों द्वारा परिवादी से प्राप्त किये गये।

जिस पर एसीबी रैन्ज जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री नारायण टोगस** के सुपरवीजन में आज ए.सी.बी इकाई बाड़मेर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार** द्वारा एसीबी इकाई बाड़मेर के स्टाफ के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपीगण डॉ. राघव डोई व सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक, राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय मोहगढ, जिला जैसलमेर को परिवादी से रिश्वती राशि 3000/– रूपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं।

आरोपीगणों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी हैं। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 9413502834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।